

फा.सं. 03-26/2020-ई.।।।.ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 29 जून, 2022

कार्यालय जापन

विषय: एसएस भाग-II/परिशिष्ट-II परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के कारण अनुभाग अधिकारी (लेखा) सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की कार्य प्रणाली जिसमें विशेष भत्ता सम्मिलित है।

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय/विभाग के दिनांक 03.01.1975 के पत्र संख्या 27023(41)/74 ईजी-1 तथा रक्षा लेखा विभाग/वित्त मंत्रालय (रक्षा) के दिनांक 20.02.1972 के पत्र संख्या 11323/एसीसीटीएस/एएन जिसका संबंध एसएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष वेतन के रूप में प्रोत्साहन राशि दिए जाने जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि सरकार द्वारा इस संबंध में जारी प्रासंगिक आदेशों के तहत पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करने के लिए विशेष वेतन को ध्यान में रखा जाएगा का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.04.1998 के कार्यालय जापन सं. 4/4/97-स्था (वेतन-II) के अनुसार विशेष वेतन जिसे इसके बाद से विशेष भत्ता कहा जाएगा और यह अब से एफआर 9(25) में यथानिर्धारित समान शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाएगा।

2. यह देखा गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग प्रशासन से पूर्व अगले उच्च पद पर प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण पर विशेष भत्ते के निरूपण के संबंध में इस विभाग या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त निर्देश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण, विभिन्न लेखा संवर्ग पूर्व केंद्रीय वेतन आयोग व्यवस्था (5वें और 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग तथा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में व्यवस्था बदलने पर) में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए विशेष भत्ते को शामिल करने की परिपाटी का अनुसरण किया जा रहा है जोकि उपर्युक्तानुसार तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग में दिनांक 03.01.1975 तथा 20.02.1975 के पत्रों द्वारा वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग/रक्षा लेखा विभाग के पहले के जारी निर्देशों के अनुसार है।

3. चूंकि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अर्हक वेतन/विशेष भत्ते पर महंगाई भत्ते के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की, अतः लेखा संवर्गों को प्रदान किए गए विशेष भत्ते/अर्हक वेतन पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है। मूल वेतन में विशेष भत्ते को जोड़ने (एसएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर) तथा अगले उच्च सेल में वेतन का निर्धारण करने की परिपाटी का अर्थ इस भत्ते को वेतन के रूप में सभी उद्देश्यों के लिए निरूपित किया जाना होगा जो न सिर्फ निर्धारित मौद्रिक लाभ के सिद्धांत को कमजोर बनाएगा बल्कि इसका परिणाम एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि होगी। यह 7वें केन्द्रीय वेतन

अशोक कुमार

आयोग के पैरा 8.9.45 के अनुरूप भी नहीं है जिसमें यह उल्लेख है कि महंगाई भत्ता अर्हक वेतन/विशेष भत्ते पर स्वीकार्य नहीं है।

4. उपर्युक्त की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एसएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति होने पर विशेष भत्ते के निरूपण के लिए उत्तरव्यापी प्रभाव से निम्नलिखित निर्देशों/दिशानिर्देशों को अपनाया जाएगा:

(i) एसएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रदान किए जाने वाले विशेष भत्ते के अवयव को एकमात्र अवयव माना जाएगा अर्थात् प्रथम वर्ष के लिए 360 रु और दूसरे वर्ष एवं इसके बाद से 630 रुपये का विशेष भत्ता।

(ii) विशेष भत्ते पर महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते स्वीकार्य नहीं होंगे।

(iii) सरकारी कर्मचारी के एसएस परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर अगले उच्च पद/ग्रेड में पदोन्नति नहीं होने तक विशेष भत्ता स्वीकार्य होगा।

(iv) एसएस परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति होने पर, विशेष भत्ते का अवयव पदोन्नति पर अगले उच्च पद पर वेतन निर्धारण करने के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

(v) इस प्रकार की पदोन्नति पर, ऐसे कर्मचारी का वेतन सीसीएस (आरपी) नियमावली 2016 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अशोक कुमार
29/06/2022

(अशोक कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 5650

सेवा में

- (i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
- (ii) सीजीडीए का कार्यालय, वरिष्ठ उप सीजीडीए, उलान बतर रोड, पालम, दिल्ली कैंट
- (iii) दूरसंचार विभाग, निदेशक एसईए, संचार भवन, नई दिल्ली
- (iv) डाक विभाग, संयुक्त सचिव (प्रशासन/स्था.), संचार भवन, नई दिल्ली
- (v) महालेखानियंत्रक का कार्यालय, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ई-ब्लॉक, आईएनए, नई दिल्ली।
- (vi) रेल मंत्रालय, उप. निदेशक स्था (पी एंड ए) II, नई दिल्ली।

F. No. 03-26/2020-E.III(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated 29th June 2022

Office Memorandum

Subject:- Methodology of fixation of pay on promotion to SO(A/c)AAO on account of passing SAS Part-II/Appendix-II Examinations which involves Special Allowance.


The undersigned is directed to refer to this Ministry/Department's Letter No. 27023(41)/74-EG-I dated 03.01.1975 and Defence Account Department/Ministry of Finance(Defence)'s Letter No.11323/Accts/AN dated 20.02.1972 regarding incentives for passing SAS Examination as **Special Pay** wherein it was stipulated that the **Special Pay would be taken into account for Fixation of Pay on promotion** under the relevant orders issued by the Government in this regard. Pursuant to recommendation of Fifth Central Pay Commission, as per DOPT vide OM No. 4/4/97-Estt(Pay-II) dated 22.4.1998, the **Special Pay** henceforth **termed as Special Allowance** and would be granted hithertofore subject to same conditions as are stipulated in **FR 9(25)**.

2. It has been observed that due to **no** further instructions/guidelines has been issued by this Department **or** DOPT with regard to the treatment of Special Allowance on fixation of pay on promotion to next higher post prior to 7th CPC regime, different accounts cadres has been following the practice of taking into Special Allowance for fixation of pay on promotion, in previous CPC regime (5th and 6th CPC and in switching over to 7th CPC regime) as per MOF/DOE/DAD's earlier instruction issued in 3rd CPC vide letters-dated 03.01.1975 & 20.02.1975, as stated above.

3. Since 7th CPC did **not** recommend Dearness Allowance on Qualification Pay/Special Allowance, the grant of DA, HRA etc. on Special Allowance/Qualification Pay granted to Account Cadres is **not** admissible. The practice of adding of Special Allowance (on passing SAS Examination) in the basic pay and fixing the pay at the next higher cell would mean treating this Allowance as pay for all purposes which would not only dilute the very principle of fixed monetary benefit instead it would lead to an additional increment. This is also not in consonance with the recommendation of at para 8.9.45 of 7th CPC that Dearness Allowance is **not** admissible on the Qualification Pay/Special Allowance.

4. In view of above, it has been decided to adopt the following instructions/guidelines, **with prospective effect**, for treatment of Special Allowance on passing SAS Examination on promotion to next higher post:

- (i) the element of Special Allowance granted on passing SAS Examination may be treated as **standalone** element i.e. Special Allowance of Rs. 360 for 1st year and Rs. 630 from 2nd year onwards.
- (ii) Dearness Allowance and other allowances on Special Allowance will **not** be admissible.



1/2

- (iii) Special Allowance will be admissible **till** the government servant is **not** promoted to the next higher post/grade on passing SAS Examination.
- (iv) On promotion to next higher post after passing SAS examination, the element of Special Allowance shall **not** be taken into account for fixation of pay on promotion to the next higher post.
- (v) On such promotion, the pay of such GS will be fixed as per Rule 13 of CCS(RP) Rules 2016.

5. This issues with the approval of the competent authority.

Ashok Kumar
29/06/2022
(Ashok Kumar)

Under Secretary to the Government of India
Tele 2309 5650

To

- (i) O/o CAG of India, Asstt. CAG, Deen Dayal Upadhya Marg, New Delhi
- (ii) O/o CGDA, Sr. Dy. CGDA, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt
- (iii) D/o Telecommunications, Director SEA Sanchar Bhavan, New Delhi
- (iv) D/o Posts, Joint Secretary(Admn/Estt.), Sanchar Bhavan, New Delhi
- (v) O/o Controller General of Accounts, GPO Complex, E-block, INA, New Delhi.
- (vi) Ministry of Railway, Dy. Dir Estt (P&A)II, New Delhi.
- (vii) DOPT, DS-Pay, North Block, New Delhi

2/2